

2.11.2021

पु.क. 21 च. नं. 4

पत्रावली आज पुत्रासन गांव के संज अभियान  
2021 केम्य पंचायत मुख्यालय सायपुर परपेरा  
हुई अपीलान्ट उपस्थित। रेस्कोडेन्ट उपस्थित  
नहीं। वरुस अपील अपीलान्ट सुमी गई। फाकली  
का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट हय यह  
अपील इस आशय की पेश की है कि निर्णय  
दिनांक 5.3.2001 बावत नामान्तरण सं 305 ग्राम  
सायपुर तहसील कशैली विधि विक्रम है। आरंभ करी



तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

जैर अपील नामान्तरण दर्ज करवे समय परवरी हल्का साय अपीलान्त नं. 1 का नाम प्रकाश चन्द के स्थान पर और प्रकाश एवं अपीलान्त नं. 2 का नाम संजीव कुमार चतुर्वेदी के स्थान पर संजय गलत तौर पर दर्ज बिना ज्ञान्य किये किया गया है, जबकि अपीलान्त नं. 1 का नाम प्रकाश चन्द है और अपीलान्त नं. 2 का नाम ~~प्रकाश~~ संजीव कुमार चतुर्वेदी है। जो सही है। यही नाम अपीलान्तस के समस्त कागजात मतदाल पहिचान पत्र आधार कार्ड व विधायक कार्ड में दर्ज है। अपीलान्तस अपना नाम नामान्तरण से संशोधन कराने के अधिकारी है। रेसोडेंट नं. 1 गांधी दिनांक 23.9.2021 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर अपीलान्तस का नाम नामान्तरण में संशोधन किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त रिकार्ड व दस्तावेजों से अपीलान्त नं. 1 का नाम प्रकाश चन्द व अपीलान्त नं. 2 का नाम संजीव कुमार चतुर्वेदी ही होना उक्त है। अपीलान्तस नामान्तरण जैर अपील में अपना नाम संशोधित कराने के हकदार है।

अतः अपील अपीलान्तस स्वीकार की जाती है। अपीलान्तस नामान्तरण नं. 305 दिनांक 5.3.2001 गांधी सायपुर तहसील करौली में अपना नाम अपीलान्त नं. 1 और प्रकाश के स्थान पर प्रकाश चन्द व अपीलान्त नं. 2 संजय के स्थान पर संजीव कुमार चतुर्वेदी संशोधित कराने के अधिकारी है। तहसीलदार करौली नामान्तरण संख्या 305 दिनांक 5.3.2001 गांधी सायपुर तहसील करौली नामान्तरण में अपीलान्तस के नाम संशोधित कर नामान्तरण में दर्ज करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार करौली को भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 2.11.2021 को सुनाया गया पत्रावली वाद तकमील कारिवाल दफ्तर हो नम्बर ले कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
करौली